राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु, जिला बाड़मेर

क्रमांक : वाद / 2022 / 1619 दिनांक : 19-12-2022

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
1 नवलाराम पुत्र अनाराम वगैरा 3 जाति जाट, निवासी लाधाणियों की ढाणी, बायतु पनजी, तहसील बायतु (बाड़मेर)		1 कंवराराम पुत्र दूदाराम वगैरा 26 जाति जाट, निवासी लाधाणियों की ढाणी बायतु पनजी, तहसील बायतु (बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या : 53 / 2022

आदेश

प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा – लाधाणियों की ढाणी पटवार मण्डल – बायतु पनजी , तहसील – बायतु, जिला– बाड़मेर के खेत खसरा नं. 601 रकबा 35.3129 हैक्टयर भूमि की नेखमबंदी हेतु प्रार्थीगणों द्वारा नेखमबंदी आवेदन प्रस्तुत किया गया जिसको दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया विप्रार्थी संख्या 1 से 15 की ओर से वकील श्री भाखराराम गोदारा द्वारा वकालतनामा मय जवाब पेश किया गया शेष विप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे जिनके विरूध्द एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई । प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या 1 से 15 के अधिवक्ता की बहस सूनी गई। प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण व विप्रार्थीगणों के खेत सेढा–सेढ आए हुए है सेढों के मध्य जो पुरानी माठ व कणे आये हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गए है जिससे प्रार्थी को अपने खेत की सीमओं का सही ज्ञान नही हो पा रहा है प्रार्थी अपने खेत की सीमाओं का सही ज्ञान करने व तारबंदी करने हेतु पक्की नेखमबंदी करवाना चाहता है इसलिए प्रार्थी का नेखमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर नेखमबंदी आदेश किया जावे। जबकि विप्रार्थी संख्या 1 से 15 के अधिवक्ता द्वारा अपने जवाब व बहस में तर्क दिया कि प्रार्थी द्वारा बिना सीमाज्ञान करवाये मनगढत तथ्यों के आधार पर नेखमबंदी आवेदन पेश किया गया है जो काबिले खारिज है अतः दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सूनने व पत्रावली के संलग्न राजस्व रेकर्ड का अवलोकन करने के बाद प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमीशनर स्वंय या सहायक कमीशनर से प्रार्थी के खातेदारी खेत का पहले सीमाज्ञान कर बाद सीमाज्ञान पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमिशनर शुल्क रू. 500/– जमा कराकर करें तथा फाईनल रिपोर्ट पेश करें साथ ही अपेक्षित होने पर संबधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु आपको अधिकृत किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2022.12.22 11:34:23 IST
Reason: SelfAttested

(मनोज)
उपखण्ड अधिकारी बायतु